



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052024-254149
CG-DL-E-10052024-254149

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]
No. 331]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 2024/वैशाख 20, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 2024/VAISAKHA 20, 1946

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

[भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2024]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2024

(2024 की सं. 06)

सं. एल-3(2)/विनियम-साधारण/(संशो.)/2024/सीसीआई.—भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 36 और धारा 64 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 का आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

- इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2024 है।
- ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 35 में, उपविनियम (2) में, "कोई पक्षकार उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना या दस्तावेजों पर गोपनीयता की मांग करता है तो वह ऐसे व्यवहार के लिए अकाट्य कारण

अधिकथित करेगा और स्वयं प्रमाणित करेगा कि किसी दस्तावेज या दस्तावेजों या सूचना या उसके किसी भाग या भागों” शब्दों के स्थान पर “कोई पक्षकार उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना या दस्तावेजों पर गोपनीयता की मांग करता है तो वह ऐसे व्यवहार के लिए अकाट्य कारण अधिकथित करेगा और स्वयं प्रमाणित करेगा कि किसी सूचना या दस्तावेज (दस्तावेजों) या उसके किसी भाग(भागों)” शब्द रखे जाएंगे।

3. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 35 में, उपविनियम (2) में, खण्ड (घ) के पश्चात, “एक वचनबंध उपलब्ध कराएगा” शब्दों के पश्चात, “एक शपथपत्र के स्वरूप में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, “प्राधिकृत” शब्द से पहले “सम्यक रूप से” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा, और “मंडल या कोई अन्य समकक्ष निकाय” के स्थान पर “पक्षकार” शब्द रखा जाएगा।
4. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 35 में, उपविनियम (3), (4) और (5) में, “दस्तावेज(दस्तावेजों)” शब्द से पहले, “सूचना या” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
5. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 35 में, उपविनियम (3) में, “सूचना(सूचनाओं)” शब्द के स्थान पर, “सूचना” शब्द रखा जाएगा।
6. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 35 में, उपविनियम (6) के दूसरे परंतुक में, “दस्तावेजों” शब्द के स्थान पर, “दस्तावेज(दस्तावेजों)” शब्द रखा जाएगा।
7. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 35 में, उपविनियम (6) के पश्चात, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा:

“(6क) (क) गोपनीय सूचना तक पहुंच की मांग करने वाले पक्षकार, एक आवेदन की रीति से, यथासंभवशीघ्र, गोपनीयता वलय स्थापित करने का अनुरोध करेगा।

(ख) उस दशा में, जहां पक्षकार ने अन्वेषण रिपोर्ट की अगोपनीय पाठ की प्राप्ति के पश्चात, ऐसा अनुरोध किया है वहां उसे, उसकी प्राप्ति के 10 (दस) दिवसों के भीतर कर दिया जाएगा:।

परंतु यह कि यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि पक्षकार को 10 (दस) दिवसों की कथित कालावधि के भीतर अनुरोध करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह 7 (सात) दिवसों की आगे की कालावधि के भीतर किए गए अनुरोध पर विचार कर सकेगा।”

8. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 35 में, उपविनियम (7) में, “वचनबंध दाखिल करना” शब्दों के पश्चात, “एक शपथपत्र के स्वरूप में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और “दस्तावेज” शब्द के स्थान पर “दस्तावेज(दस्तावेजों)” शब्द रखा जाएगा।
9. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 35 में, उपविनियम (7) के पहले परंतुक में, “उपर्युक्त निबंधनों पर अलग वचनबंध(वचनबंधों)” शब्दों के पश्चात, “एक शपथपत्र के स्वरूप में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
10. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 35 में, उपविनियम (7) के दूसरे परंतुक में, “परंतु यह और कि गोपनीयता वलय का भाग बनने वाले संबंधित पक्षकारों के प्रतिनिधि” शब्दों के स्थान पर “परंतु यह और कि गोपनीयता वलय का भाग बनने वाले संबंधित पक्षकार और उनके सदस्य” शब्द रखे जाएंगे।
11. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 35 में, उपविनियम (7) के पश्चात, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा:

“(7क) पक्षकार गोपनीय वलय स्थापित करने के आदेश की प्राप्ति की तारीख 10 (दस) दिवसों की कालावधि के भीतर, उपर्युक्त उपविनियम (7) के निबंधनों के अनुसार वचनबंध दाखिल करेंगे:

परंतु यह कि यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि पक्षकार को 10 (दस) दिवसों की कथित कालावधि के भीतर, वचनबंध दाखिल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह 5 (पांच) दिवसों की आगे की कालावधि के भीतर, उसका प्रतिग्रहण कर सकेगा।”

12. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 35 में, उपविनियम (8) के पश्चात, निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे और तदनुसार, वर्तमान उपविनियम (9) और (10) क्रमशः उपविनियम (11) और (12) के रूप में पुनः संख्यांकित हो जाएंगे:

“(9) (1) गोपनीयता वलय में सम्मिलित पक्षकार, इन विनियमों के विनियम 50 के साथ पठित, विनियम 37 के अधीन, वचनबंध(वचनबंधों) को प्रस्तुत करने की तारीख से 7 (सात) दिवसों की कालावधि के भीतर, निरीक्षण की मांग करने के आवेदन(आवेदनों) को कर सकेंगे।

(2) पक्षकारों को ऐसा निरीक्षण, अनुज्ञा दिये जाने के 21 (इक्कीस) दिवसों की कालावधि के भीतर पूर्ण करना होगा।

(3) पक्षकार, इसके पश्चात 7 (सात) दिवसों की कालावधि के भीतर, इन विनियमों के विनियम 50 के साथ पठित विनियम 37 के अधीन, प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने की मांग के आवेदन(आवेदनों) को कर सकेंगे।

(4) प्रमाणित प्रतियों की मांग करने के आवेदन की प्राप्ति पर, उसकी 14 (चौदह) दिवसों की कालावधि के भीतर प्रदायगी कर दी जाएगी:

परंतु यह कि सचिव, उपर्युक्त उपखंड (2) के अधीन विहित समयावधि(समयावधियों) को आगे 7 (सात) दिवसों की कालावधि किंतु अपश्चात, बढ़ा सकेगा।”

“(10) (1) आयोग, आपवादिक मामलों में, विशिष्ट विषय के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, कारणों को लिखित में लेखबद्ध करके, इस विनियम के अधीन विहित समयावधि बढ़ा सकेगा।

(2) उस दशा में, जहां पक्षकार(पक्षकारगण), प्रदत्त समयावधि का पालन करने में विफल रहता है/रहते हैं, वहां आयोग, कानून के अनुसार कार्यवाही जारी रखेगा।”

13. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 35 में, उपविनियम (10) (संशोधित उपविनियम 12) में, “दस्तावेज(दस्तावेजों) या उसके भाग(भागों)” शब्दों से पहले “सूचना या” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
14. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 35 में, उपविनियम (10) (संशोधित उपविनियम 12) के पहले परंतुक में, “कार्यालय डीजी” शब्दों से पहले “कार्यालय महानिदेशक” शब्द रखे जाएंगे।
15. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 37 में, उपविनियम (1) में, “खण्ड 57 के उपबध्दों” शब्दों के पश्चात, “अधिनियम का” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और “और विनियम 35” शब्दों के पश्चात, “इन विनियमों का” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
16. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 37 में, उपविनियम (1) में, पूर्णविराम “।” के बजाय विसर्ग “:” के साथ समाप्त होगा।

17. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 37 में, उपविनियम (2) में, "ऐसे व्यक्ति को निरीक्षण करने की अनुज्ञा" शब्दों के पश्चात, "और/या प्रमाणित प्रतियां प्रदान करना" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
18. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 37 में, उपविनियम (3) के परंतुक में, "दस्तावेजों का निरीक्षण या उसकी प्रतियां प्राप्त करना" शब्दों के स्थान पर "दस्तावेजों का निरीक्षण या उसकी प्रमाणित प्रतियां प्रदान करना" शब्द रखे जाएंगे।
19. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 37 में, उपविनियम (3) के परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित दूसरा परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा:
"परंतु यह और कि गोपनीय दस्तावेजों का निरीक्षण और उसकी प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, इन विनियमों के विनियम 35 के अधीन यथाअनुबद्ध समय सीमाएं लागू होंगी।"
20. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 37 में, उपविनियम (1) में, उपविनियम (3) का पहला परंतुक पूर्णविराम "।" के बजाय विसर्ग ":" के साथ समाप्त होगा।
21. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 50 का शीर्षक, "निरीक्षण और प्रतिलिपि प्रभार" में "निरीक्षण और प्रतिलिपि फीस" शीर्षक रखा जाएगा।
22. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 50 में, उपविनियम (1) में, "एक हजार रुपये प्रति दिवस" शब्दों के स्थान पर "दो हजार पांच सौ रुपये प्रति दिवस" शब्द रखे जाएंगे।
23. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 50 में, उपविनियम (2) में, "कार्यावाहियों के पक्षकारों के लिए प्रतियां प्राप्त करने संबंधी प्रभार" शब्दों के स्थान पर "प्रमाणित प्रतियां प्रदाय करने के लिए फीस" शब्द रखे जाएंगे।

अनुपमा आनंद, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./100/2024-25]

टिप्पणः- मूल विनियमों को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचना सं. आर- 40007/6/विनि-साधारण/अधि/04/सीसीआई तारीख 21 मई, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इन्हें संशोधित करके भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में तारीख 20 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. एल-3 (2)/विनि-साधारण(संशो.)/2009-10/सीसीआई, तारीख 20 अक्टूबर, 2010 की सं. एल-3(2)/विनि-साधा.(संशो.)/2009-10/सीसीआई, तारीख 31 मार्च, 2011 की सं. एल-3(2)/विनि-साधा.(संशो.)/2009-10/सीसीआई, तारीख 8 नवंबर, 2011 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा.(संशो.)/2011/सीसीआई, तारीख 7 अक्टूबर, 2013 की सं. एल-3(2)/विनि-साधा.(संशो.)/2013/सीसीआई, तारीख 6 दिसंबर, 2018 की सं. एल 3(2)/विनि-साधा.(संशो.)/2018/सीसीआई, तारीख 20 नवंबर, 2019 की सं. एल-3(2)/विनि साधा.(संशो.)/2019/सीसीआई, तारीख 6 फरवरी, 2020 की सं. एल-3 (2)/विनि साधा.(संशो.)/2020/सीसीआई, तारीख 06 सितम्बर, 2021 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा.(संशो.)/2021/सीसीआई, तारीख 8 अप्रैल, 2022 की सं. विनि-साधा.(संशो.)/2022/सीसीआई और तारीख 12 जनवरी, 2024 की सं. एल-3(2)/विनि-साधा.(संशो.)/2024/सीसीआई द्वारा प्रकाशित किया गया था।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

[The Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2024]

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2024

(No. 06 of 2024)

No. L-3(2)/ Regl.-Gen. (Amdt.)/ 2024/ CCI.—In exercise of the powers conferred by sections 36 and 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations to further amend the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, *namely*: –

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 35, in sub-regulation (2), the words “*A party seeking confidentiality over the information or the documents furnished by it shall set out cogent reasons for such treatment and shall self-certify that making the document or documents or information or a part or parts thereof public*” shall be substituted with the words “*A party seeking confidentiality over the information or the document(s) furnished by it shall set out cogent reasons for such treatment and shall self-certify that making the information or document(s) or part(s) thereof public*”.
 3. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 35, in sub-regulation (2), after clause (d), after the words “*shall provide an undertaking*”, the words “*in the form of an affidavit*” shall be inserted, before the word “*authorised*”, the word “*duly*” shall be inserted, and the words “*Board or any other equivalent body*” shall be substituted with the word “*party*”.
 4. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 35, in sub-regulations (3), (4) and (5), before the word “*document(s)*” the words “*information or*” shall be inserted.
 5. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 35, in sub-regulation (3), the word “*information(s)*” shall be substituted with the word “*information*”.
 6. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 35, in the second proviso to sub-regulation (6), the word “*documents*” shall be substituted with the word “*document(s)*”.
 7. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 35, after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted:

“(6A) (a) *The party seeking access to confidential information shall make a request for setting up a Confidentiality Ring, by way of an application, at the earliest.*

(b) *In case such request is made by a party post receipt of the non-confidential version of the investigation report, the same shall be made within a period of 10 (ten) days from the receipt thereof:*

Provided that if the Commission is satisfied that the party was prevented by sufficient cause from making the request within the said period of 10 (ten) days, it may entertain the request made within a further period of 7 (seven) days.”
 8. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 35, in sub-regulation (7), after the words “*filing of undertakings*”, the words “*in the form of an affidavit*” shall be inserted and the word “*documents*” shall be substituted with the word “*document(s)*”.
 9. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 35, in the first proviso to sub-regulation (7), after the words “*separate undertaking(s) on aforesaid terms*”, the words “*in the form of an affidavit*” shall be inserted.
 10. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 35, in the second proviso to sub-regulation (7), the words “*Provided further that the representatives of the parties concerned forming part of Confidentiality Ring*” shall be substituted by the words “*Provided further that the parties concerned and their members forming part of Confidentiality Ring*”.
 11. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 35, after sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be inserted:

“(7A) *The parties shall file undertakings in terms of sub-regulation (7) above within a period of 10 (ten) days from the date of receipt of the order setting up Confidentiality Ring:*

Provided that if the Commission is satisfied that the party was prevented by sufficient cause from filing the undertaking within the said period of 10 (ten) days, it may accept the same filed within a further period of 5 (five) days.”

12. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 35, after sub-regulation (8), the following sub-regulations shall be inserted and accordingly, existing sub-regulations (9) and (10) shall be renumbered as sub-regulations (11) and (12), respectively:

“(9) (1) *The parties included in the Confidentiality Ring may make application(s) seeking inspection under regulation 37 read with regulation 50 of these regulations, within a period of 7 (seven) days from the date of submission of undertaking(s).*

(2) *Such inspection shall be completed by the parties within a period of 21 (twenty-one) days of being allowed.*

(3) *The parties may make application(s) seeking grant of certified copies under regulation 37 read with regulation 50 of these regulations within a period of 7 (seven) days thereafter.*

(4) *On receipt of an application seeking certified copies, the same shall be supplied within a period of 14 (fourteen) days:*

Provided that the Secretary may extend the time period(s) prescribed under sub-clause (2) above for a further period of 7 (seven) days but not thereafter.”

“(10) (1) *The Commission may, considering the facts and circumstances of a particular matter, in exceptional cases, extend the timelines prescribed under this regulation for reasons to be recorded in writing.*

(2) *In case the party(s) fail to adhere to the given timelines, the Commission shall continue with the proceedings in accordance with law.”*

13. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 35, sub-regulation (10) (revised sub-regulation 12), before the words “*document(s) or part(s) thereof*”, the words “*information or*” shall be inserted.

14. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 35, in the first proviso to sub-regulation (10) (revised sub-regulation 12), the words “*Office of the DG*” shall be substituted with the words “*Office of the Director General*”.

15. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 37, in sub-regulation (1), after the words “*provisions of Section 57*”, the words “*of the Act*” shall be inserted and after the words “*and regulation 35*”, the words “*of these regulations*” shall be inserted.

16. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, regulation 37, sub-regulation (1), shall end with a colon “*:*” instead of a full-stop “*.*”

17. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 37, in sub-regulation (2), after the words “*allow such person inspection*”, the words “*and/ or grant of certified copies*” shall be inserted.

18. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 37, in the proviso to sub-regulation (3), the words “*inspection of documents or copying thereof*” shall be substituted by the words “*inspection of documents or grant of certified copies thereof*”.

19. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 37, after the proviso to sub-regulation (3), the following second proviso shall be inserted:

“Provided further that for the purposes of inspection and grant of certified copies of confidential documents, the time limits as stipulated under regulation 35 of these regulations, shall apply.”

20. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, regulation 37, the first proviso to sub-regulation (3), shall end with a colon “*:*” instead of a full-stop “*.*”

21. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, the heading of regulation 50 “*Inspection and copying charges*” shall be substituted with the heading “*Inspection and copying fees*”.

22. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 50, in sub-regulation (1), the words “*rupees one thousand per day*” shall be substituted by the words “*rupees two thousand five hundred per day*”.

23. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 50, in sub-regulation (2), the words “*Copying Charges for the parties to the proceedings*” shall be substituted by the words “*Fees for supplying certified copies*”.

ANUPAMA ANAND, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./100/2024-25]

Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* Notification number R-40007/6/ Reg- General/ Noti/ 04- CCI, dated the 21st day of May, 2009 and subsequently amended and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notifications number L-3(2)/ Regln.-Gen.(Amdt.) 2009-10/ CCI dated the 20th August, 2009; number L-3(2) Regln.-Gen.(Amdt.)/ 2009-10/ CCI dated the 20th October, 2010; number L-3(2) Regln.-Gen.(Amdt.)/ 2009-10/ CCI dated the 31st March, 2011; number L-3(2)/ Regln.-Gen.(Amdt.)/ 2011/ CCI dated the 8th November, 2011; number L-3(2)/ Regln.-Gen.(Amdt.)/ 2013/ CCI dated the 7th October, 2013; number L-3(2)/ Regln.-Gen.(Amdt.)/ 2018/ CCI dated the 6th December, 2018; number L-3(2)/ Regln.-Gen.(Amdt.)/ 2019/ CCI dated the 20th November, 2019, number L-3(2)/ Regln.-Gen.(Amdt.)/ 2020/ CCI dated the 6th February, 2020, number L-3(2)/ Regln.-Gen.(Amdt.)/ 2021/ CCI dated the 6th September, 2021, number Regln.-Gen. (Amdt.)/ 2022/ CCI dated the 8th April, 2022, and number L-3(2)/ Regln.-Gen.(Amdt.)/ 2024/ CCI dated the 12th January, 2024.